5 अध्याय

वित्तीय परिव्यय और परिणाम

वित्तीय परिव्यय और परिणाम

पिछले दो वर्षों के दौरान बजट और व्यय निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	संशोधित अनुमान के संबंध में व्यय का प्रतिशत
2022-23	393.24	547.88	497.09	90.73
2023-24	642.32@	619.04@	604.9495 (मार्च, 2024 तक)	97.72

@ कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण की केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए बजट अनुमान 2023–24 में किए गए 450 करोड़ रुपये के प्रावधान को संशोधित अनुमान 2023–24 में घटाकर 430 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इसे एनएमईटी फंड (वसूली के माध्यम से) के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान; संशोधित अनुमान में 547.88 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में 497.09 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में अप्रयुक्त राशि मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अनिवार्य प्रावधानों और समग्र बजट आवंटन में कमी के कारण थी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निधियों का उपयोग 604.9495 करोड़ रुपये (मार्च, 2024 तक) था, जबकि संशोधित अनुमान स्तर पर 619.04 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए, बजट अनुमान में 922.55 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से 843.50 करोड़ रुपये केंद्रीय क्षेत्र स्कीमों के लिए, 10.11 करोड़ रुपये कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएफओ) के लिए सरकारी योगदान हेतु आवंटित किए गए हैं, और शेष 68.94 करोड़ रुपये की राशि सचिवालय (कोयला मंत्रालय), नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला नियंत्रक संगठन के लिए आवंटित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्कीम–वार/कार्यक्रमवार आवंटन निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th colspan="2">स्कीमों के नाम</th><th>राजस्व</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">सचिवालय (आर्थिक सेवाएँ)</td><td>41.57</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">कोयला खान पेंशन स्कीम –1998 (सीएमपीएस. 98), सीएमपीएफओ</td><td>10.11</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">कोयला नियंत्रक संगठन</td><td>11.66</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी</td><td>15.71</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td rowspan="3">कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना का विकास</td><td>कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास</td><td>72.00</td></tr>
<tr><td>पर्यावरण उपाए और धंसाव नियंत्रण</td><td>0.50</td></tr>
</table>

क्र.सं.	स्कीमों के नाम		राजस्व
7.	कोयला एवं लिग्नाइट अन्वेषण (*)	क्षेत्रीय अन्वेषण	500.00
		विस्तृत ड्रिलिंग	230.00
		कुल	**922.55**
		एनएमईटी से कम रिकवरी	-(730.00)
		निवल योग	**192.55**

नोटः "कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण" हेतु केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के लिए निर्धारित 730 करोड़ रुपये के कोष को एनएमईटी निधियों से पूरा किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए कोयला पीएसयू का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) घटक 24490 करोड़ रुपये है, जिसका प्रावधान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) से किया जाएगाः

(करोड़ रुपये में)
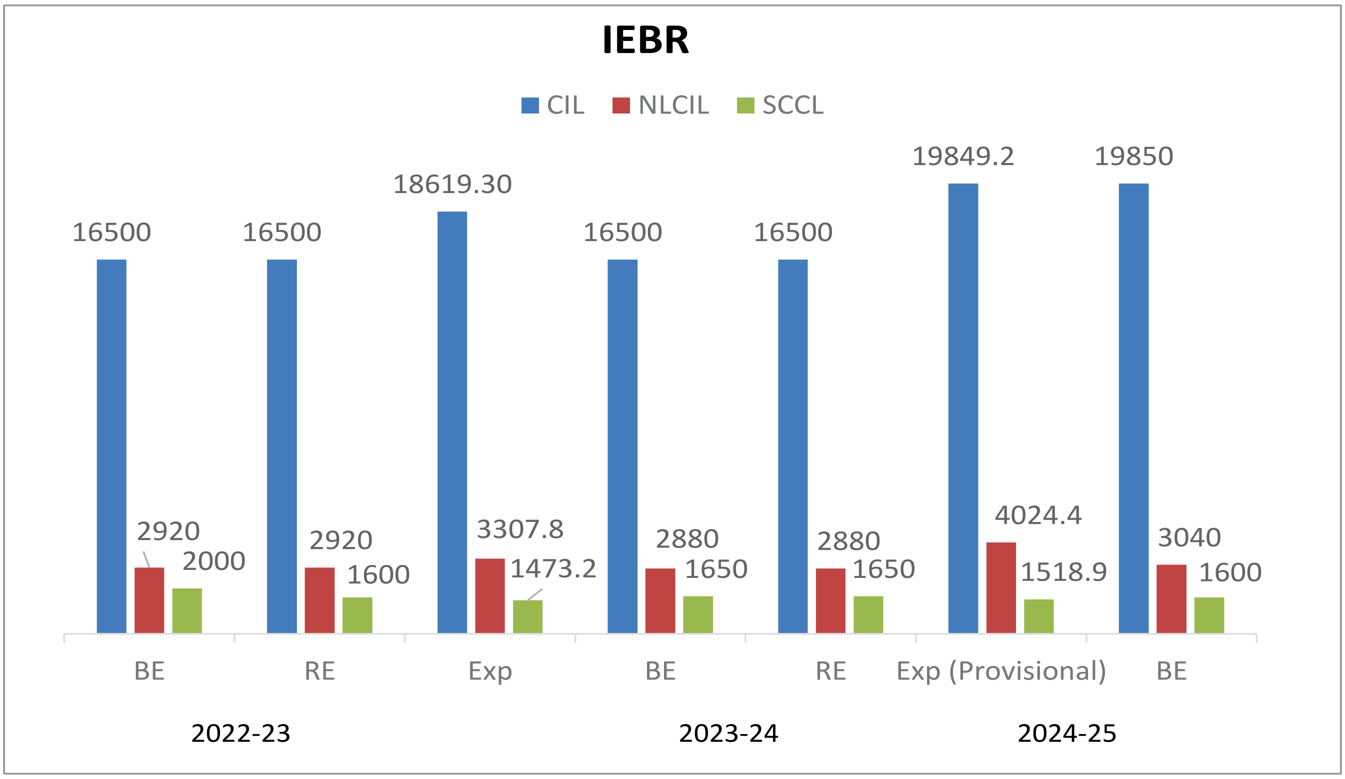
पीएसयू का नाम	2022-23			2023-24			2024-25
	ब.अ.	सं.अ.	व्यय	ब.अ.	सं.अ.	व्यय (अंनतिम)	ब.अ.
सीआईएल	16500	16500	18619.30	16500	16500	19849.20	19850
एनएलसीआईएल	2920	2920	3307.8	2880	2880	4024.4	3040
एससीसीएल	2000	1600	1473.20	1650	1650	1518.90	1600
कुल	**21420**	**21020**	**23400.3**	**21030**	**21030**	**25392.5**	**24490**